

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी: टीना डाबी, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या:-78/2022

अपीलांट- कुरबान पुत्र ओसमान मुसलमान बनाम रेस्पोंडेंट:-तहसीलदार धनाउ
निवासी बुरहान का तला तहसील धनाउ, बाड़मेर

निर्णय

दिनांक:-21.01.2026

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रेस्पोंडेंट तहसीलदार धनाउ द्वारा धारा 91 दर्ज कर प्रकरण संख्या 13/2022 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2022 के विरुद्ध दिनांक 17.10.2022 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं
2. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाधीन अभिलेख तलब किया जाकर अवलोकन किया।
3. अधिवक्ता अपीलांट द्वारा निवेदन किया कि पटवारी हल्का बुरहान का तला द्वारा तहसीलदार धनाउ के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बुरहान का तला के खसरा नम्बर 151 रकबा 767.06 बीघा किस्म गैर मुमकीन गोचर में 800 वर्गफीट पक्का मकान पर गैर सायल कुरबान द्वारा राजकीय भूमि पर कमरा निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार धनाउ द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। गैर सायल के अधिवक्ता दौरान सुनवाई उपस्थित नहीं हुए इस पर तहसीलदार धनाउ द्वारा गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 07.10.2022 के द्वारा 50/- रुपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 17.10.2022 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।
4. अधिवक्ता अपीलांट द्वारा आवेदन आदेश 18 नियम 18 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रक्रिया संहिता प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि है कि अधिनस्थ न्यायाधीश ने सक्षम न्यायालय के आदेश की पालना नहीं कर अधिनस्थ कर्मचारियों से मौके पर वक्त सैन्टलमेंट 15.10.1955 को जरिब द्वारा नाप किया गया उसी अनुसार नाप नहीं कर मौका



जिला कलक्टर
बाड़मेर


फर्द व मौका नक्शा जी.पी.एस. से नाप कर एक तरफा अपीलांट की गैर मौजूदगी में मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा जो बनाया गया है। जिसमें राजस्व एक्ट व रूल्स की पालना नहीं करते हुए जरीब को दर किनार किया गया है। अतः उक्त अपील एवं आवेदन को स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय को पुनः उक्त खसरे का मौका निरीक्षण करने का आदेश फरमावे।

5. हमने अपीलांट के अधिवक्ता को सुना एवं अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया जिसमें पाया गया कि अपीलांट के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1380/113 पैतृक होने से वक्त सेटलमेंट से आज तक मौके पर काबिज है किन्तु खेत खसरा नंबर 151 अपीलांट के पडोस में होने से एवं सेटलमेंट के पाईन्ट से चिन्ह नहीं उठाने के कारण उक्त भूमि का सही नाप नहीं होने से 800 वर्गफीट में पक्के मकान के अतिक्रमण बताया गया है। अपीलाधीन कार्यवाही में इन समस्त तथ्यों की जांच एवं साक्ष्यों को अभिलेख पर लिए जाने के उपरान्त समुचित निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित है। इस प्रकार अपीलांट के विरुद्ध मुतनाजा सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण का तथ्य उपलब्ध साक्ष्यों से ठोस रूप से प्रमाणित नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के स्वामित्व दस्तावेजों के अनुसार उक्त भूमि पर अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार धनाउ द्वारा प्रकरण संख्या 13/2022 में पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.10.2022 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को समुचित सुनवाई अवसर एवं उनकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर, विधिपूर्ण विवेचन उपरान्त प्रकरण का नये सिरे से निस्तारण करें।

7. आदेश आज दिनांक 21.01.2026 को सुनाया गया।




(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
बाड़मेर